

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-198 / 2019

पीटर तिर्की

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

आबिद अंसारी और अन्य

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री राजीव आनंद, अधिवक्ता

03 / 26.06.2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों को सुना।

विपरीत पक्षों को नोटिस जारी करें।

याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह पंजीकृत कवर के साथ ए/डी एवं सामान्य प्रक्रिया के तहत परिसीमा के मामले में विपरीत पक्षों पर नोटिस की तामिला हेतु अपेक्षिताएं तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करें, विफल होने पर, यह सिविल विविध याचिका पीठ को संदर्भित किए बिना हीं खारिज कर दी जाएगी।

नियम को छह सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य बनाया जाता है।

प्राप्त होने के बाद इस सिविल विविध याचिका को सूचीबद्ध करें विपरीत पक्षों को जारी नोटिस की तामिला प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस सिविल विविध याचिका को सूचीबद्ध करें।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया०)